उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर, अलीगंज, लखनऊ–226024

संख्या– 3270 / UPSDM / 2018–19 / IT–MIS / 1076

दिनांकः 07 मार्च, 2022

कार्यालय आदेश

कर्यालय के आदेश संख्या– / 1211 / UPSDM / 2018–19 / IT–MIS / AEBAS / 1076 दिनांक–22 मार्च, 2021 द्वारा मिशन के माध्यम से संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षणार्थियों का अनिवार्यतः आधार प्रमाणीकरण कराने एवं प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति आधार इनेबल्ड बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से दिनांक 01.04.2021 से दर्ज किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। आधार इनेबल्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति को अनिवार्यतः सुनिश्चित करने का प्राविधान प्रशिक्षण प्रदाताओं व मिशन के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध में भी उल्लिखित है।

उक्त प्राविधान के अनुपालन के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि अनावासीय प्रशिक्षणार्थियों–प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रातः 6:00 बजे से सायं 08:00 बजे बैच है आने एवं जाने की **AEBAS** उपस्थिति इसी समय के अनुसार दर्ज की जा सकेगी।

आवासीय प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षणार्थियों / प्रशिक्षकों की बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का समय प्रातः 08:00–10:00 बजे तक **In** तथा सायंकाल 08:00–10:00 बजे तक ही **Out** दर्ज की जाएगी। अन्य समयावधियों में दर्ज की गयी प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति मान्य नहीं होगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(आन्द्रा वामसी)
मिशन निदेशक

संख्या– / UPSDM / 2018–19 / IT–MIS / 1076 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
4. प्रबंध निदेशक, मै0 श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
5. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
6. कार्यालयादेश पंजिका।
7. गाई फाइल।

(आन्द्रा वामसी)
मिशन निदेशक